भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्याः 18

उत्तर देने की तारीखः 17.07.2017

मॉडरेशन नीति

***18. श्री धनंजय महाडीकः**

श्री आधलराव पाटील शिवाजीरावः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का बढ़ा कर अंक देने तथा अंक देने में मॉडरेशन नीति को समाप्त करने तथा इस संबंध में एक वैज्ञानिक नीति अपनाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस उद्देश्य हेतु इंटर-बोर्ड वर्किंग ग्रुप की स्थापना की है और यदि हां, तो इस संबंध में राज्य-बोर्डों से प्राप्त प्रतिक्रिया सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे देश में शिक्षा की गुणवत्ता में किस प्रकार सुधार आने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में मूल्यांकन में समरूपता लाने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री प्रकाश जावड़ेकर)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

मॉडरेशन नीति के संबंध में श्री धनंजय महाडीक और श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव द्वारा दिनांक 17.07.2017 को लोक सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. 18 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): मानव संसाधन विकास मंत्रालय में सचिव (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता) ने अंक बढ़ाकर देने से रोकने के लिए अंकों की मॉडरेशन नीति की समीक्षा हेतु दिनांक 24 अप्रैल, 2017 को राज्य शिक्षा सचिवों और राज्य शिक्षा बोर्डों तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) अध्यक्ष के साथ बैठक की सूचना दी है। सभी राज्य बोर्डों ने अंतर्बोर्ड कार्यकारी समूह (आईबीडब्ल्यूजी) को गठित करने का निर्णय लिया है जिसमें आईबीडब्ल्यूजी के संयोजक के रूप में अध्यक्ष, सीबीएसई सहित गुजरात, जम्मू और कश्मीर, केरल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मणिपुर, आईसीएसई बोर्डों के अध्यक्ष शामिल होंगे।

अंकों के अपवर्ड संशोधन/अंकों को बढ़ाने के लिए उनके मॉडरेशन के संबंध में एकमत से निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं:

(i) केरल बोर्ड के अतिरिक्त सभी राज्य बोर्डों ने राज्य विनियमों में संशोधन, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए वर्तमान वर्ष से अपवर्ड संशोधन/अंक बढ़ाने हेतु अंकों के मॉडरेशन को समाप्त करने का निर्णय लिया है। तथापि, केरल बोर्ड ने अगले वर्ष से मॉडरेशन को समाप्त करने की सूचना दी है।

(ii) सभी राज्य बोर्ड ने उत्तीर्णता प्रतिशत में सुधार हेतु निम्नस्तरीय कार्य निष्पादन के लिए ग्रेस मार्क्स की नीति को जारी रखने का निर्णय लिया है। परंतु पारदर्शिता हेतु नीति को बोर्ड की वेबसाइट पर डालना होगा। यह निर्णय भी लिया गया कि ग्रेस मार्क्स को मार्कशीट में अलग से दिखाया जाएगा।

देश में मूल्यांकन प्रक्रिया में समानता लाने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए परामर्श की इस प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए सभी राज्य बोर्डों ने भारत सरकार और राज्य सरकारों के प्रयास की सराहना की है।

*****